राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी

नगर नियोजन भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

क्रमांक एफ.4(1)आरजे/रेरा/2017/डी–3080 जयपुर, दिनांक :– **16.08.2019**

<u>आदेश</u>

दी रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डवलपमेंट) एक्ट, 2016 की धारा 37 एवं दी राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी रेग्युलेशनस्, 2017 के अनुच्छेद 23(3) के अन्तर्गत ऑथोरिटी को प्रदत्त शक्तियों के क्रम में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. दिनांक 01.09.2019 से, प्लोटेड डवलपमेंट प्रोजेक्टस् को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के नए प्रोजेक्टस् के पंजीकरण पर पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त, भूखण्ड के क्षेत्रफल पर रु 20/– प्रति वर्गमीटर की दर से स्टैण्डर्ड फीस (Standard Fee) देय होगी।

2. दिनांक 09.04.2019 को जारी किये गये आदेश क्रमांक 2353 में आंशिक संशोधन किया जाकर यह निर्धारित किया जाता है कि पंजीकरण हेतु विलम्ब से आवेदित ऑन–गोईंग प्रोजेक्टस् के मामले में दिनांक 31.12.2019 तक पंजीकरण हेतु आवेदन करने पर, पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त, पंजीकरण शुल्क की चार गुणा राशि बतौर शास्ति देय होगी और इसके अतिरिक्त दिनांक 01.09.2019 से पंजीकरण शुल्क की दो गुणा राशि बतौर स्टैण्डर्ड फीस देय होगी।

3. प्रोजेक्ट के पंजीकरण की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व प्राप्त एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन (Extension of Registration) के आवेदनों पर पंजीकरण शुल्क की 50 प्रतिशत राशि बतौर एक्सटेंशन शुल्क देय है; दिनांक 01.09.2019 से, उक्त राशि के अतिरिक्त, पंजीकरण शुल्क की 50 प्रतिशत राशि बतौर स्टैण्डर्ड फीस देय होगी।

4. जो प्रमोटर (promoter) उसके प्रोजेक्ट के पंजीकरण की वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात् एक्सटेंशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे निम्न राशियॉं जमा करवाकर एक्सटेंशन हेतु आवेदन कर सकते हैं :

   (i) एक्सटेंशन शुल्क के रूप मे, पंजीकरण शुल्क की 50 प्रतिशत राशि;
   (ii) शास्ति के रूप में, पंजीकरण शुल्क के बराबर राशि; तथा
   (iii) स्टैण्डर्ड फीस के रूप में :–

(... चन्द्र शर्मा)
रजिस्ट्रार,
राजस्थान रेरा, जयपुर

Scanned with CamScanner

- पंजीकरण शुल्क के बराबर राशि, यदि विलम्ब 30 दिवस से अधिक नही है।
- पंजीकरण शुल्क की दो गुणा राशि, यदि विलम्ब 90 दिवस से अधिक नही है।
- पंजीकरण शुल्क की तीन गुणा राशि, यदि विलम्ब 90 दिवस से अधिक है।

5. दिनांक 12.04.2018 को जारी किये गए आदेश क्रमांक 1196 में आंशिक संशोधन किया जाकर यह निर्धारित किया जाता है कि प्रोजक्ट रजिस्ट्रेशन के आवेदनों में हार्डकॉपी 7 दिन से अधिक के विलम्ब से जमा कराने पर वर्तमान में राशि रु. 1,000/– प्रतिदिन की दर से जो डिले प्रोसेसिंग चार्जेज (Delay Processing Charges) देय हैं, उनकी अधिकतम सीमा पंजीकरण शुल्क के 5 प्रतिशत के बराबर होगी।

6. दिनांक 12.04.2018 को जारी किये गये आदेश क्रमांक 1197 में आंशिक संशोधन किया जाकर यह निर्धारित किया जाता है कि किसी पंजीकृत प्रोजेक्ट के प्रमोटर के परिवर्तन की दशा में विद्यमान प्रमोटर के स्थान पर नए प्रमोटर का नाम दर्ज करने एवं उसके साथ अन्य सभी संबंधित जानकारियों में आवश्यक बदलाव करने हेतु, उतनी राशि समेकित संशोधन शुल्क (Comprehensive Modification Fee) के रूप में देय होगी, जो यदि ऐसे प्रोजेक्ट का नया पंजीकरण कराया जाता है तो उस पर पंजीकरण शुल्क एवं स्टैण्डर्ड फीस (यदि कोई लागू हो) के रूप में देय बनती है। पनन्तु प्रमोटर के नाम में मामूली संशोधन एवं अन्य प्रमोटर डिटेल में संशोधनों पर पूर्वानुसार 5000/– रुपये की संशोधन फीस यथावत लागू रहेगी।

उक्तानुसार स्टैण्डर्ड फीस से संबंधित सभी प्रावधान दिनांक 01.09.2019 से लागू होंगे, अर्थात दिनांक 31.08.2019 तक फीस व शास्ति (यदि कोई लागू हो) सहित प्राप्त आवेदनों पर स्टैण्डर्ड फीस के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इस आदेश के अन्य सभी प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे, अर्थात् आज तक फीस व शास्ति (यदि कोई लागू हो) सहित जमा कराये जा चुके आवेदनों पर ये प्रावधान भी लागू नहीं होंगे।

यह आदेश ऑथोरिटी की चतुर्थ बैठक दिनांक 29.07.2019 में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में एवं ऑथोरिटी के अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(रमेश चन्द्र शर्मा)

(रमेश चन्द्र शर्मा)
रजिस्ट्रार,
राजस्थान रेरा, जयपुर

Scanned with CamScanner

रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी।
2. निजी सचिव, सदस्य, राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी।
3. संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि)/(लेखा), राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी।
4. लेखाधिकारी, राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी।
5. उप नगर नियोजक–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी।
6. वास्तुविद, राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी।
7. उप रजिस्ट्रार (विधि)/(कोर्ट)/(कम्पलेन्ट्स), राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी।
8. सहायक लेखाधिकारी/कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी।
9. रेरा वेबपोर्टल।
10. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. अध्यक्ष, CREDAI, राजस्थान, जयपुर।
2. अध्यक्ष, TODAR, राजस्थान, जयपुर।
3. अध्यक्ष, RAHDA, राजस्थान, जयपुर।
4. चैयरमैन, CREDAI, एनसीआर भिवाडी चैप्टर, राजस्थान, जयपुर।
5. चैयरमैन, रेरा अवेयरनेस कमेटी, आईसीएआई, जयपुर ब्रांच, जयपुर।
6. चैयरमैन, रेरा कमेटी, टैक्स कन्सलटेन्ट एसोसिएट, जयपुर।
7. चीफ एडिटर, रेरा टाईम्स।

रजिस्ट्रार

(रमेश चन्द्र शर्मा)
रजिस्ट्रार,
राजस्थान रेरा, जयपुर

Scanned with CamScanner